टी०ए० मिस केस सं० 127/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
06/11/19	अभिलेख उपरथापित। आवेदक **जोगराम सावैयाँ, पिता– स्व० सातारी सावैयाँ,** ग्राम– **गितिलपी,** थाना– **मुफ्फासिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **मतकमहातु, थाना– 642,** खाता नं०– **149,** प्लॉट नं०– **1368, रकवा– 0.10** एकड़ भूमि क्रेता **रामाय बिरूली, पिता– स्व० दुलबु बिरूली,** ग्राम– **बरकुन्डिया,** थाना– **मुफ्फासिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **767,** दिनांक– **1.11.2019** द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **रामाय बिरूली, पिता– स्व० दुबलु बिरूली,** ग्राम– **बरकुन्डिया,** थाना– **मुफ्फासिल,** के पास 9,97,000.00/–**(नौ लाख सन्तानब्बे हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फासिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.50** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **जोगराम सावैयाँ, पिता– स्व० सातारी सावैयाँ,** ग्राम– **गितिलपी,** क्रेता– **रामाय बिरूली, पिता– स्व० दुबलु बिरूली,** ग्राम– बरकुन्डिया, थाना– **मुफ्फासिल** के पास. 9,97,000.00/–**(नौ लाख सन्तानब्बे हजार) रूपये** में **मौजा– मतकमहातु, थाना– 642,** खाता नं०– **149,** प्लॉट नं०– **1368, रकवा– 0.10 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति..........दी जाती है। लेखापित। 6/11 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 6/11/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner